कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः— 318 / FP/UK/ROAD/ 11763/2015 देहरादूनः दिनांकः 29 जुलाई, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः— जनपद अल्मोड़ा में पोखरी मेरगांव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.025 है0 वन भूमि का गैर वनिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 02.10.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 02.10.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 108/12—1 दिनांक 20.07.2022 के द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी हैः—

क्र. सं.	आपत्तियॉ	निराकरण
1	प्रस्ताव में 02 गांवो को लाभान्वित होना बतलाया गया है जिसकी जनसंख्या 319 है, किन्तु ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड के0एम0एल0 फाइल में गांवों स्थिति अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि डिजिटल मानचित्र पर Alignment में अंकित बिन्दु 16 एवं 29 पर गांव जुड़ जा रहा है फिर भी प्रस्तावित मार्ग को अनावश्यक रूप से जुड़ जा रहा है फिर भी प्रस्तावित मार्ग को अनावश्यक रूप से बिन्दु 46 तक बढाया गया है। अतः राज्य सरकार उचित स्पष्टीकरण एवं आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 108/12—1 दिनांक 20.07.2022 के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड के0एम0एल0 फाइल में गांवों की स्थिति अंकित कर ली गयी है एवं प्रसतावित मोटर मार्ग पोखरी मेरगांव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर मोटर मार्ग के नाम से स्वीकृत है। यह मार्ग उन्यूड़ा, धौणा, गुठोली को जोड़ते हुए पौराणिक शिव मंदिर कपिलेश्वर के निकट समाप्त होता है। यह स्थान निकटवर्ती ग्रामवासियों का आस्था का केन्द्र है एवं इसी स्थान पर शमसान घाट भी स्थित है। धार्मिक आस्था का केन्द्र होने के कारण यह मार्ग बनाया जाना अतिआवश्यकीय है।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया Cost benefit analysis सभी बिन्दुओं का आंकलन /गणना प्रस्तुत नहीं करता है। इसके अतिरिक्त नई Guideline के अनुसार prescribed format में C/B analysis प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उक्त पत्र के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट 1 के जी0 सैक्शन में अपलोड कर लिया गया है।
3	राज्य सरकार द्वारा दिया गया enumeration 9 मीटर चौड़ाई पर प्रस्तुत किया गया है जो कि 7 मीटर चौड़ाई पर दिया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त Online portal पर राज्य सरकार द्वारा 0—30 girth class को अंकित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है, कि वह online part II के para 4 पर saplings को भी अंकित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उक्त पत्र के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई में करा ली गयी है, जिसकी प्रविष्टि भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड़ कर दी गयी है।

<table>
<tr><td>4</td><td>प्रकरण में अत्यधिक संख्या में वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह तीन वैकल्पिक संरेखणों का परीक्षण कर उनसे सम्बन्धित समस्त विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। साथ ही उपलब्ध रोड़ नेटवर्क भी के०एम०एल० फाईल पर दर्शाने का कष्ट करें।</td><td>प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के अतिरिक्त तीन अन्य वैकल्पिक संरेखणों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:—
<table>
<tr><td></td><td>वैकल्पिक संरेखण सं 01</td><td>वैकल्पिक संरेखण सं 02</td><td>वैकल्पिक संरेखण सं 03</td></tr>
<tr><td>वृक्ष</td><td>1085</td><td>1205</td><td>1136</td></tr>
<tr><td>वन भूमि का क्षेत्र</td><td>7.225</td><td>7.502</td><td>7.900</td></tr>
<tr><td>तकनीकी पहलु</td><td>उपयुक्त नही</td><td>उपयुक्त नही</td><td>उपयुक्त नही</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>पूर्व में FRA Certificate पर क्षेत्रफल के Correction के बावत् लेख किया गया था, जिसके जवाब में राज्य सरकार द्वारा area correction तो किया गया परन्तु उसे verify नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार FRA Certificate में correction क्षेत्रफल को verify कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।</td><td>FRA Certificate क्षेत्रफल को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा verify कर लिया गया है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के ई०डी०एस० का उत्तर तय सीमा के बाद दिया गया है। अतः राजय सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनश्चित करें कि कार्यक्षेत्र एवं अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1–20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।</td><td>प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि समय से उपलब्ध न हो पाने के कारण ई०डी०एस० का उत्तर समय से दिया जाना सम्भव नहीं हो पाया। अवनत आरक्षित भूमि प्राप्त होने के उपरान्त ई०डी०एस० का उत्तर प्रेषित किया गया। प्रस्तावित कार्यक्षेत्र उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं मार्गदर्शी के पैरा 1–20 (re-opening of cases) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं।</td></tr>
</table>

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 318 / FP/UK/ROAD/ 11763/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 108/12–1 दिनांक 20.07.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

22/07/22

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।